न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 82/2018 प्रार्थना पत्र

1. बंशीलाल पिता घीसा धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. बोतलाल पिता भंवरलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. मूलचन्द पिता भंवरलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 04.03.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा अनोपपुरा की खाता संख्या 27 की आराजी नं. 164 रकबा 1.6000 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने आराजी नं. 130/02 ख थे जो कि मूल आराजी नं. 130/2 थे। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की दिगर आराजी नं. 86, 87, 88, 89, 90, 92 जिसके पुराने आराजी नं. 73, 74, 75, 76, 77, 78/1 से लगी हुई होकर प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी जिसके नये आराजी नं. 164 व पुराने आराजी नं. 130/2ख है, जिसका पुराने नक्शे में तरमीम नहीं थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की उक्त आराजीयात को दिगर आराजीयात से जहां पर प्रार्थीगण काबिज है, वहां पर प्रार्थीगण का नक्शा ट्रेस में अंकन सही रूप से नहीं किया है तथा प्रार्थीगण की आराजीयात से दूर दर्शा दिया गया है जो तरमीम राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुई थी। वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा अपनी खातेदारी की अन्य आराजीयात के साथ ही है जो आरम्भ से चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जो गलत तरमीम कर दी है वह वास्तविक कब्जे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की अन्य आराजीयात के पास स्थित

कब्जे अनुसार ही प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात की तरमीम नक्शा ट्रेस में की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2018/992, दिनांक 29.08.2018 के माध्यम से जवाब एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ बेचातनामा दिनांक 10.03.1980 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम अनोपपुरा की खाता संख्या 27 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 1958-61 ग्राम अनोपपुरा की खाता संख्या 19 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम अनोपपुरा, वर्तमान नक्शा ट्रेस ग्राम अनोप पुरा, नक्शा किश्तवार मौजा अनोपपुरा प्रस्तुत किये हैं तथा कैलाश गिरी पिता शिवदत्त गिरी निवासी कनेरा व बंशीलाल पिता नारायण धाकड़, निवासी कोचवा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रश्नगत आराजी संख्या 164 वर्तमान में खातेदार श्री बंशीलाल पिता घीसा 1/2 व बोतलाल, मूल चन्द पिता भंवरलाल 1/2 धाकड़, निवासी कोचवा के नाम दर्ज रेकार्ड है। गत भू-प्रबन्ध में यह भूमि आराजी नं. 130 का भाग होकर आराजी नं. 130/2ख, एवं 130/2 से बने हुए है। प्रार्थीगण की अन्य आराजीयात के साथ ही उक्त आराजीयात लगी हुई है परन्तु नवीन नक्शा ट्रेस में उक्त आराजीयात को 200 मीटर से अधिक दूरी पर तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थीगण की आराजी को चरनोट दर्शा दिया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व ही उक्त भूमि पर ट्यूबवैल भी लगवाई थी और उस भूमि को आरम्भ से विकसीत कर काश्त करता चला आ रहा है। साथ ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निम्नलिखित सारिणी एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित लाल स्याही में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	164	1.60	बंशीलाल पिता घीसा 1/2, बोतलाल, मूलचन्द पिता भंवरलाल 1/2 हि.ब. धाकड़ सा. कोचवा, रहन बीओबी कनेरा	164 सम्पूर्ण 161 (पश्चिमी)	1.60 11.79	चारागाह चारागाह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2	161	13.39	चारागाह	161 में से पूर्वी भाग	1.60	बंशीलाल पिता घीसा 1/2, बोतलाल, मूलचन्द पिता भंवरलाल 1/2 हि.ब. धाकड़ सा. कोचवा, रहन बीओबी कनेरा

आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:42:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: